

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या: 40, दिनांक 25-01-2025

लगभग 14 वर्ष से फरार व थाना नालासोपारा, जिला थाणे शहर, महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0-271/2011 धारा- 302 भादवि में वांछित अभियुक्त जब्बाद जब्बार सैय्यद कमिशनरेट लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांक 25-01-2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना नालासोपारा, जिला थाणे शहर, महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0-271/2011 धारा- 302 भादवि में वांछित व लगभग 14 वर्ष से फरार अभियुक्त जब्बाद जब्बार सैय्यद को कमिशनरेट लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरण:-

1- जब्बाद जब्बार सैय्यद पुत्र जब्बार सैय्यद निवासी साईं द्वरिका चाल तुलसी नगर कारगिल टेकडी संतोष भवन नालासोपारा पूर्व जनपद थाणे महाराष्ट्र। हाल पता- ग्राम नौहाई खुर्द थाना आसीवन जनपद उन्नाव।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय:-

इन्दिरा नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे मुख्यमार्ग थानाक्षेत्र गाजीपुर कमिशनरेट लखनऊ। दिनांक 25.01.2025 समय लगभग 11:45 प्रातः बजे।

थाना नालासोपारा, जिला थाणे शहर, महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0-271/2011 धारा - 302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त जब्बाद जब्बार सैय्यद की गिरफ्तारी हेतु सेण्ट्रल यूनिट काइम ब्रांच महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एस0टी0एफ0 से सहयोग मांगा गया, जिसपर पुलिस उपाधीक्षक श्री प्रमेश कुमार शुक्ल के पर्यवेक्षण में उ0नि0 श्री जावेद आलम सिद्दीकी, उ0नि0 चन्द्र प्रकाश मिश्र, मु0आ0 मुनेन्द्र सिंह, मु0आ0 मृत्युंजय सिंह, एस0टी0एफ0 मुख्यालय की टीम, द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 25-01-2025 को उ0नि0 श्री जावेद आलम सिद्दीकी, उ0नि0 चन्द्र प्रकाश मिश्र, मु0आ0 मुनेन्द्र सिंह, मु0आ0 मृत्युंजय सिंह, एस0टी0एफ0 मुख्यालय की टीम, एवं एएसआई आसिफ मुल्ला व मु0आ0 संग्राम सिंह गायकवाड सेण्ट्रल यूनिट काइम ब्रांच थाणे महाराष्ट्र पुलिस टीम द्वारा अभिसूचना संकलन किया जा रहा था कि इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना नालासोपारा, जिला थाणे शहर, महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0-271/2011 धारा-302 भादवि इन्दिरा नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे मुख्यमार्ग थानाक्षेत्र गाजीपुर में मौजूद हैं, जो मेट्रो से चारबाग जाने वाला है। यदि शीघ्रता किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ टीम व थाणे काइम ब्रांच कर्मियों के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त को उक्त स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह दिनांक 24.05.2011 को अपनी मामी रेहाना खातून की हत्या अवैध सम्बन्धों के कारण साईं द्वरिका चाल थाना क्षेत्र नालासोपारा में किया था, तब से गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप-छिपाकर रह रहा था। नाला सोपारा में रहकर जरी का काम

करता था। वहीं पर इसके मामा का भी परिवार रहता था। यह पढा लिखा नहीं है तथा यह मूलरूप से जनपद उन्नाव का रहने वाला है।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना गाजीपुर, कमिशनरेट लखनऊ में दाखिल किया गया। ट्रॉजिट रिमाण्ड एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही सेण्ट्रल यूनिट काइम ब्रांच थाणे महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की जा रही है।